झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड गो सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड गो सेवा आयोग अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड गो सेवा आयोग अधिनियम, 2005 (अंगीकृत) की धारा–2 के अन्तर्गत उप धारा–7 एवं धारा–4 के अन्तर्गत उप धारा–3 को समाविष्ट करते हुए संशोधन।

झारखण्ड गो सेवा आयोग अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड गो सेवा आयोग अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 02, 2006) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(I) यह अधिनियम झारखण्ड गो सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

(II) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(III) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. झारखण्ड गो सेवा आयोग 2005 (अंगीकृत) की धारा–2 के अन्तर्गत उप धारा–7 एवं धारा–4 के अन्तर्गत उप धारा–3 को समाविष्ट करते हुए निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाती है :–

1. झारखण्ड गो सेवा आयोग 2005 (अंगीकृत) की धारा–2 में अतिरिक्त उपधारा–7 को समाविष्ट करते हुए "प्रशासक" का अर्थ परिभाषित है :–

   "प्रशासक" से अभिप्रेत है आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त रहने की स्थिति में आयोग के अध्यक्ष की समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम प्राधिकार।

2. झारखण्ड गो सेवा आयोग 2005 (अंगीकृत) की धारा–4 के अन्तर्गत अतिरिक्त उपधारा–(3) को समाविष्ट करते हुए गो सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रधान सचिव/सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त रहने की तिथि तक पदेन **"प्रशासक"** के रूप में कार्य करेंगे तथा उनके द्वारा आयोग के अध्यक्ष के स्तर के निष्पादित किये जाने वाले समस्त वित्तीय व प्रशासनिक कार्यो को निष्पादन किया जायेगा ।

यह विधेयक झारखण्ड गो सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 79--50--2-1-2012 ।